उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 92/2020/174प्र0स0/92-2-20-34आरई/2007

लखनऊ:: दिनांक:: 14 जुलाई 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर में तैनाती के दौरान निर्माण कार्यो के सम्पादन हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि के स्थायी अग्रदाय/अस्थायी अग्रदाय का समायोजन न किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 30.04.2007 द्वारा श्री कमला शंकर चतुर्वेदी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-इलाहाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में श्री चतुर्वेदी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दि0 31.12.2007 को सेवानिवृत्त हो गये। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 21-06-2012 द्वारा श्री कमला शंकर चतुर्वेदी के विरूद्ध संस्थित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया।

2- श्री कमला शंकर चतुर्वेदी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-इलाहाबाद की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 23-07-2009 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप स्थापित पाये गये। अतएव जांच अधिकारी की जांच आख्या में सिद्ध पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 16-09-2009 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 01.08.2012 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री कमला शंकर चतुर्वेदी के विरूद्ध पाया गया कि अपचारी अधिकारी के नाम खोले गये अस्थायी एवं स्थायी अग्रदाय की धनराशि रू0 3,95,479.22 एवं रू0 13,000.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 4,08,479.00 के समायोजन हेतु बाउचर प्रखण्ड में प्रस्तुत न कर उक्त धनराशियों का समायोजन न कराने हेतु अपचारी अधिकारी उत्तरदायी है। अतएव शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड के प्रस्ताव पर पत्र दि 20-07-2016 द्वारा लोक सेवा आयोग की सहमति मांगी गयी।

4- लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 09-09-2016 द्वारा अपचारी अधिकारी के विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड पर प्रदान की गयी सहमति के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20-10-2016 द्वारा श्री कमला श्ंकर चतुर्वेदी, तत्का0 सहायक अभिंयंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्ध पडी अग्रिम प्रकीर्ण की धनराशि रू0 4,08,479.00 की वसूली उनके सेवानिवृत्ति देयकों यथापेंशन एवं ग्रेच्युटी से किये जाने के दण्ड के साथ उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दिया गया है। उक्त दण्डादेश को समाप्त किये जाने के संबंध में श्री कमला शंकर चतुर्वेदी द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 21-01-2020 शासन को प्रस्तुत किया गया है।

5- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि यद्यपि अपचारी अधिकारी द्वारा शासन से निर्गत दण्डादेश दिनांक 20-10-2016 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-257/2017 कमला शंकर चतुर्वेदी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य योजित की गयी है जो मा0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

न्यायालय में अद्यतन विचाराधीन है। अपचारी अधिकारी द्वारा शासन के दण्डादेश दिनांक 20-10-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये अपने प्रत्यावेदन दि0 21-01-2020 में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें जॉच अधिकारी को दिये गये बचाव उत्तर व शासन में उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन में किया गया था। प्रत्यावेदन में किसी नवीन तथ्य का उल्लेख नही किया गया है। अतएव प्रकरण में शासन के दण्डादेश दिनांक 20-10-2016 के विरूद्ध अपचारी अधिकारी, श्री कमला शंकर चतुर्वेदी, सेवानिवृत्ति सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन दिनांक 20-01-2020 बलहीन पाये जाने के कारण निरस्त करते हुये निस्तारित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-92/2020/174प्र0स0/(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।
2- श्री कमला शंकर चतुर्वेदी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-जौनपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।